

कार्यालय-मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून ।

पत्रांक /स्था0-2/ ग्रा0वि0अ0-स्थानान्तरण पत्रा0-2018-2019 (01)/2019-20, दिनांक जून,2019

"आदेश"

विधायी एवं सांसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 /XXXVI (3) / 2018/20(1)/ 2017, दिनांक 05 जनवरी,2018 को प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-108/XXX(2) /19/30(13)/2017, दिनांक 01 मई,2018, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-118/XXX(2) /2019/30(13) /2017, दिनांक 23.04.2019 तथा अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी के कार्यालय पत्रांक-3540/दिनांक 06.03.2019 के आलोक में वर्ष 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर में जिला विकास अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित ग्राम विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान में तैनाती विकास खण्ड से स्तम्भ-4 में उल्लिखित विकास खण्ड में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ग)दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तथा धारा-17(1)(क)अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	ग्राम विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का विकासखण्ड	स्थानान्तरित विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4
1	श्री अशोक कुमार	चकराता	सहसपुर
2	श्री मनोज जोशी	चकराता	डोईवाला
3	श्री शीशपाल सिंह पुण्डेर	सहसपुर	चकराता
4	श्री राजीव कुमार	विकासनगर	चकराता

2- उक्त स्थानान्तरित ग्राम विकास अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित कर लें । खण्ड विकास अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

3- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वार्निंग टाईम)का उपभोग नव तैनाती के विकास खण्ड में पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (ज्वार्निंग टाईम) का ही उपभोग कर सकेंगे ।

4- उक्त स्थानान्तरित कर्मी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

5- सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कर्मी द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

ह0/-

(जी0एस0रावत)
मुख्य विकास अधिकारी,
देहरादून ।

पत्रांक /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश परिपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड चकराता,विकासनगर,सहसपुर द्वारा-खण्ड विकास अधिकारी, चकराता,विकासनगर,सहसपुर ।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी चकराता, विकासनगर,सहसपुर,डोईवाला ।
- 3- उप कोषाधिकारी, चकराता,विकासनगर,ऋषिकेश,को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम के धारा-22(1) के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा ।
- 4- जिला विकास अधिकारी, देहरादून ।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 6- आयुक्त,ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी ।
- 7- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

मुख्य विकास अधिकारी,
देहरादून ।

कार्यालय-जिला विकास अधिकारी, देहरादून ।

पत्रांक /स्था0-3/ स्थानान्तरण पत्रा0-2018-2019 (01)/2019-20, दिनांक जून,2019
 "आदेश"

विधायी एवं सांसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 /XXXVI (3) / 2018/20(1)/ 2017, दिनांक 05 जनवरी,2018 को प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-108/XXX(2) /19/30(13)/2017, दिनांक 01 मई,2018, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-118/XXX(2) /2019/30(13) /2017, दिनांक 23.04.2019 तथा अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी के कार्यालय पत्रांक-3540/दिनांक 06.03.2019 के आलोक में वर्ष 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर में जिला विकास अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित अनुसेवको को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान में तैनाती विकास खण्ड से स्तम्भ-4 में उल्लिखित विकास खण्ड में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ग)दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तथा धारा-17(1)(क)अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	अनुसेवक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4
1	श्री सरदार सिंह चौहान	कालसी	रायपुर
2	श्रीमती कृष्णा	रायपुर	कालसी

2- उक्त स्थानान्तरित अनुसेवक एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित कर लें । खण्ड विकास अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित अनुसेवको को तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

3- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित अनुसेवक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वार्निंग टाईम)का उपभोग नव तैनाती के विकास खण्ड में पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (ज्वार्निंग टाईम) का ही उपभोग कर सकेंगे ।

4- उक्त स्थानान्तरित अनुसेवको को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

5- सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित अनुसेवको द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

(पी0के0पाण्डेय)
 जिला विकास अधिकारी,
 देहरादून ।

पत्रांक /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश परिपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित अनुसेवक, विकास खण्ड कालसी, रायपुर, द्वारा-खण्ड विकास अधिकारी, कालसी, रायपुर ।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी कालसी, रायपुर ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, विकासनगर को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम के धारा-22(1) के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित अनुसेवको का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून ।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 6- अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी ।
- 7- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

जिला विकास अधिकारी,
 देहरादून ।

कार्यालय—जिला विकास अधिकारी, देहरादून ।

पत्रांक /स्था0-1/ स्थानान्तरण पत्रा0-2018-2019 (01)/2019-20, दिनांक जून,2019

“आदेश”

विधायी एवं सांसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 /XXXVI (3) / 2018/20(1)/ 2017, दिनांक 05 जनवरी,2018 को प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-108/XXX(2) /19/30(13)/2017, दिनांक 01 मई,2018, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-118/XXX(2) /2019/30(13) /2017, दिनांक 23.04.2019 तथा अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी के कार्यालय पत्रांक-3540/दिनांक 06.03.2019 के आलोक में वर्ष 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर में जिला विकास अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती आर्दश कौर ,कनिष्ठ सहायक की इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश संख्या-1549/98-99, दिनांक 10.08.1998 के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून से की गई सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उनकी वर्तमान तैनाती स्थान निम्नांकित स्तम्भ -3 से स्तम्भ -4 में उल्लिखित विकास खण्ड में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1)(क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कनिष्ठ सहायक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती आर्दश कौर	जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून	कालसी

- 2- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित कर लें । खण्ड विकास अधिकारी उक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे ।
 - 3- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाईम)का उपभोग नव तैनाती के विकास खण्ड में पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (ज्वाइनिंग टाईम) का ही उपभोग कर सकेंगे ।
 - 4- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
 - 5- सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
- श्रीमती कौर का वेतन आचार्य प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र शंकरपुर के स्थान पर उनके नव तैनाती के विकास खण्ड कालसी से ही आहरित किया जायेगा ।

ह0/-
(पी0के0पाण्डेय)
जिला विकास अधिकारी,
देहरादून ।

पत्रांक /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश परिपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित कनिष्ठ सहायक द्वारा- जिलाधिकारी, कार्यालय देहरादून ।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी कालसी, ।
- 3- आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र शंरपुर देहरादून ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम के धारा-22(1) के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कनिष्ठ सहायक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा ।
- 5- उप कोषाधिकारी, विकासनगर ।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून ।
- 7- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 8- अपर आयुक्त,ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी ।
- 9- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

जिला विकास अधिकारी,
देहरादून ।

कार्यालय-जिला विकास अधिकारी, देहरादून ।

पत्रांक /स्था0-1/ स्थानान्तरण पत्रा0-2018-2019 (01)/2019-20, दिनांक जून,2019
"आदेश"

इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश संख्या-1496/स्था0-1/व्य0पत्र/2017-18, दिनांक 23.08.2017 के द्वारा श्री दीपक सजवाण, कनिष्ठ सहायक की सम्बद्धता जिला विकास कार्यालय,देहरादून से की गई थी । वर्ष 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उनकी सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मूल तैनाती के स्थान विकास खण्ड रायपुर में अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करें ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

(पी0के0पाण्डेय)
जिला विकास अधिकारी,
देहरादून ।

पत्रांक /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश परिपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री दीपक सजवाण,कनिष्ठ सहायक, द्वारा-जिला विकास कार्यालय ।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी रायपुर ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून ।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 6- अपर आयुक्त,ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी ।
- 7- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

जिला विकास अधिकारी,
देहरादून ।

कार्यालय-जिला विकास अधिकारी, देहरादून ।

पत्रांक /स्था0-1/ स्थानान्तरण पत्रा0-2018-2019 (01)/2019-20, दिनांक जून,2019
"आदेश"

इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश संख्या-1501/ स्था0-1/ आदेश (516)/2015-16, दिनांक 20.08.2015 के द्वारा श्री सूरज बड्थवाल, कनिष्ठ सहायक की सम्बद्धता जिला विकास कार्यालय,देहरादून से की गई थी । वर्ष 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उनकी सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मूल तैनाती के स्थान विकास खण्ड विकासनगर में अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करें ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

ह0/-
(पी0के0पाण्डेय)
जिला विकास अधिकारी,
देहरादून ।

पत्रांक /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश परिपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री सूरज बड्थवाल,कनिष्ठ सहायक, द्वारा-जिला विकास कार्यालय ।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर ।
- 3- उप कोषाधिकारी, विकासनगर ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून ।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून ।
- 6- अपर आयुक्त,ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी ।
- 7- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

जिला विकास अधिकारी,
देहरादून ।

कार्यालय-जिला विकास अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक /स्था0-2/ स्थानान्तरण पत्रा0-2018-2019 (01)/2019-20, दिनांक जून,2019

“आदेश”

इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश संख्या-1645/स्था0-2/स्थाना-1/2017-18, दिनांक 05.09.2018 के द्वारा श्री नरेन्द्र प्रसाद नौटियाल, ग्राम विकास अधिकारी की सम्बद्धता विकास खण्ड सहसपुर से की गई थी। वर्ष 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उनकी सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वें अपने मूल तैनाती के स्थान विकास खण्ड चकराता में अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/-

(जी0एस0रावत)
मुख्य विकास अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश परिपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री नरेन्द्र प्रसाद नौटियाल द्वारा-खण्ड विकास अधिकारी सहसपुर।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी सहसपुर/चकराता।
- 3- उप कोषाधिकारी, चकराता।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 6- अपर आयुक्त,ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

जिला विकास अधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय-जिला विकास अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक /स्था0-2/ स्थानान्तरण पत्रा0-2018-2019 (01)/2019-20, दिनांक जून,2019
"आदेश"

इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश संख्या-1152/स्था0-2/ग्रा0वि0अ0/2016-17, दिनांक 31.08.2016 के द्वारा श्री अरुण भट्ट, ग्राम विकास अधिकारी की सम्बद्धता विकास खण्ड रायपुर से की गई थी। वर्ष 2019 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उनकी सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मूल तैनाती के स्थान विकास खण्ड चकराता में अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/-

(जी0एस0रावत)
मुख्य विकास अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश परिपालनार्थ हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री अरुण भट्ट, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा-खण्ड विकास अधिकारी रायपुर।
- 2- खण्ड विकास अधिकारी रायपुर/चकराता।
- 3- उप कोषाधिकारी, चकराता।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 6- अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी।
- 7- सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

जिला विकास अधिकारी,
देहरादून।